न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2023 ::

उनवान रामसिंह बनाम राजस्थान सरकार

रामसिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति मीणा उम्र 43 वर्ष निवासी फरासिया मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

– प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

संशोधित निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

प्रार्थी की और से वकील श्री रामेश्वर चौधरी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसमे दिनांक 08.12.2023 को अन्तिम निर्णय दिया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी दिनांक 15.01.2024 को पुनः उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का पेश किया तथा निवेदन किया कि अन्तिम निर्णय दिनांक 08.12.2023 के अन्तिम पैरा. में टंकण त्रुटि हुई है जिसे की न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित है। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः संशोधित निर्णय निम्नानुसार दिया जाता है: –

"वकील प्रार्थी की बहस तथा तहसीलदार अरांई की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे अधिगृहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकर राशि 66268/– अक्षरे छियासठ हजार दो सौ अडसठ रू मात्र प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डी.डी. तहसीलदार अरांई के नाम प्रस्तुत करने के पश्चात् मौका रिपोर्ट क्रमांक 4677 दिनांक 12.10.2023 के अनुसार ग्राम चौसला स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 546, 694/546 में आवागमन के लिये ग्राम चौसला स्थित भूमि खसरा संख्या 547 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में से 30 फीट चौडे रास्ते अनुरूप 0.0650 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित कर, अधिग्रहित भूमि की 30 फीट चौडे रास्ते हेतु संलग्न नजरी नक्शानुसार तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि के नवीन खसरा संख्या बनाते हुये भूमि को उसी खाते में पूर्व की भांति रखकर किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करें। तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट क्रमांक 4677 दिनांक 12.10.2023 अन्तिम निर्णय का भाग रहेगी।

संशोधित आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज .... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)